निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1933 (श0)
(सं0 पटना 617)   पटना, मंगलवार, 15 नवम्बर 2011

सं0 3/सी 5–नीति–12/2011—3048

निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

———————

संकल्प

10 नवम्बर 2011

विषयः—26 नवम्बर को, प्रतिवर्ष मद्य–निषेध दिवस (No Liquor Day) के रूप में मनाए जाने के संबंध में।

शराब के दुरूपयोग से पारिवारिक, सामाजिक एवं विकास के पहलुओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जनता में जागृति पैदा करने के उद्‌देश्य से राज्य सरकार के द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

(1) 26 नवम्बर को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया जायेगा तथा प्रतिवर्ष इस दिन को मद्य–निषेध दिवस (No Liquor Day) के रूप में मनाया जायेगा, जिसके तहत सरकारी, गैर–सरकारी तथा सामाजिक स्तरों पर विभिन्न कार्याक्रम आयोजित किये जायेंगे।

(2) मद्य–निषेध दिवस के अंतर्गत आयोजित/संचालित होने वाले विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(1) प्रधान सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार

(2) प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग, बिहार

(3) प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार

(4) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार

(5) प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार

(6) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार

(7) प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार

(8) सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार

(9) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य विभरेजेज कॉ0 लिमिटेड, पटना

(10) आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना—सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति मद्य निषेध दिवस के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम अनुमोदित कर कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए समय—समय पर आवश्यक निदेश निर्गत करेगी।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 617-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in